

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1625

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

योजनाओं के नामों में परिवर्तन

1625. कुमारी राम्या हरिदास:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि गत पांच वर्षों के दौरान मंत्रालय द्वारा कई योजनाओं के नाम बदल दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो ये योजनाएं पहले किस नाम से जानी जाती थीं तथा वर्तमान में इसके क्या नाम हैं;

(ग) इन योजनाओं के नाम में परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(घ) इन योजनाओं के नाम में परिवर्तन से प्राप्त लाभों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : जी हां। ऊर्जा संरक्षण तथा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्कीमें चल रही थीं। चूंकि इन स्कीमों का समग्र उद्देश्य सामान्य था, इसलिए इन्हें एक समेकित स्कीम में मिला दिया गया था। समेकित स्कीम में मिला दी गई स्कीमों के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

विभिन्न स्कीमों को एक में समेकित करने के परिणामस्वरूप ऊर्जा संरक्षण गतिविधियों को और अधिक वास्तविक और लचीले ढंग से बढ़ावा देने के प्रयासों को दिशा मिल रही है। इससे सुचारू कार्यान्वयन के साथ-साथ वास्तविक और वित्तीय प्रगति की बेहतर निगरानी सहित प्रचालनात्मक मुद्दों का सरलीकरण भी हुआ है। लचीले दृष्टिकोण ने आवश्यकता के आधार पर गतिविधियों के बीच संसाधनों के बेहतर आबंटन को सक्षम भी बनाया है।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1625 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

स्कीमों के ब्यौरे:

क्र.सं.	वर्ष 2017 तक स्कीम का नाम	समेकित स्कीम का नाम
1.	राज्य स्तर पर ऊर्जा के दक्ष उपयोग और उसके संरक्षण को बढ़ावा देने हेतु राज्य विनिर्दिष्ट एजेंसियों (एसडीएज) का सुदृढीकरण	“भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता गतिविधियों को प्रोत्साहन” के लिए योजना।
2.	मांग पक्ष प्रबंधन (डीएसएम) पहलें	
3.	लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमईयों) में ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी उन्नयन	
4.	उपकरणों और भवनों के लिए मानक, कोड तथा लेबलिंग	
5.	ऊर्जा संरक्षण जागरूकता, पुरस्कार तथा चित्रकला प्रतियोगिता	

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1641

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

ताप विद्युत संयंत्रों की स्थिति

1641. श्री शिशिर कुमार अधिकारी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि पिछले डेढ़ वर्षों के दौरान कोयले की आपूर्ति में कमी के कारण देश में विभिन्न ताप विद्युत संयंत्रों की कुछ इकाइयों को बंद करना पड़ा और कुछ ने उत्पादन कम कर दिया;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : जी नहीं।

(ख) : उपर्युक्त के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग) : विद्युत क्षेत्र को कोयला आपूर्ति के मुद्दे का समाधान करने के उद्देश्य से, विद्युत संयंत्रों में कोयला भंडारण की गंभीर स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक परिस्थिति से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक निर्णय लेने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी उप समूह नियमित बैठकें आयोजित करता है, जिसमें विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), एनटीपीसी लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधि शामिल होते हैं।

इसके अलावा, सरकार ने संयंत्रों की कोयला आवश्यकता को पूरा करने हेतु उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

- सरकार ने मई, 2016 में, राज्य/केंद्रीय जेनकोज को अधिक दक्ष संयंत्रों में कोयला का उपयोग करने के साथ-साथ परिवहन लागत की बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत कम करने के लिए अपने उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलेपन की अनुमति दी है।
- परिवहन लागत को इष्टतम बनाने के मद्देनजर, राज्य/केंद्रीय जेनकोज एवं आईपीपीज़ के लिंकेज स्रोतों के युक्तीकरण की अनुमति दी गई है।
- सरकार ने, ऐसे विद्युत संयंत्रों को जिनके पास कोयला लिंकेज नहीं है, कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति (स्कीम फॉर हार्नेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपॉर्टली इन इंडिया) - 2017 स्कीम शुरू की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1673

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत की मांग का आकलन

1673. श्रीमती रमा देवी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा आकलित विद्युत की मांग की राज्य-वार मात्रा कितनी रही है;
- (ख) सरकार द्वारा विद्युत की मांग को किस प्रकार पूरा किया जा रहा है और कितनी मात्रा में विद्युत की आपूर्ति की गई;
- (ग) उक्त अवधि के दौरान विद्युत आपूर्ति के संबंध में मानदंडों का उल्लंघन करने वाली निजी विद्युत कंपनियों के नाम क्या हैं; और
- (घ) इस संबंध में दोषी पाई गई ऐसी निजी विद्युत कंपनियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई/किए जाने का प्रस्ताव है और इसके क्या परिणाम रहे?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में देश में विद्युत की मांग और पूरी की गई मांग का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है। देश में वर्तमान संस्थापित उत्पादन क्षमता लगभग 384 गीगावाट (जीडब्ल्यू) है जो देश में विद्युत की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। अभी तक अनुभूत की गई अधिकतम व्यस्ततम विद्युत मांग 07/07/2021 को लगभग 200.6 जीडब्ल्यू है।

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी संबंधित ऊर्जा की आवश्यकता को विभिन्न स्रोतों जैसे अपने स्वयं के उत्पादन, अंतर-राज्यीय उत्पादन स्टेशनों के हिस्से जिनमें केंद्रीय क्षेत्र के उत्पादन स्टेशन भी शामिल हैं, को द्विपक्षीय आधार पर विद्युत खरीद और पावर एक्सचेंजों आदि के माध्यम से पूरी करते हैं। विद्युत की आपूर्ति न होने का मुख्य कारण वितरण नेटवर्क में व्यवधान और विद्युत खरीद के लिए डिस्कॉमों की वित्तीय कठिनाइयों हैं।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है। निजी विद्युत कंपनियों सहित किसी विद्युत कंपनी द्वारा खरीददारों को विद्युत आपूर्ति उनके बीच विद्युत क्रय करारों के अनुसार होती है। विद्युत की आपूर्ति के लिए अंगीकृत प्रक्रिया भी विद्युत क्रय करारों के अनुसार होती है। विद्युत आपूर्ति की किसी भी चूक के मामले में, खरीददार निजी विद्युत कंपनियों सहित ऐसी विद्युत उत्पादन कंपनियों के विरुद्ध विद्युत क्रय करारों में उल्लिखित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार उपयुक्त कार्यवाही कर सकते हैं। विद्युत विनियामक आयोग को लाइसेंसधारियों एवं उत्पादन कंपनियों के बीच विवाद का न्यायनिर्णयन करने की अधिकारिता है।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1673 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2018-19, 2019-20 एवं 2020-21 में विद्युत आपूर्ति की स्थिति

राज्य/प्रणाली/ क्षेत्र	ऊर्जा				ऊर्जा				ऊर्जा			
	अप्रैल, 2020 - मार्च, 2021				अप्रैल, 2019 - मार्च, 2020				अप्रैल, 2018 - मार्च, 2019			
	ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा		ऊर्जा आवश्यकता	आपूर्ति की गई ऊर्जा	आपूर्ति नहीं की गई ऊर्जा	
	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)	(एमयू)	(एमयू)	(एमयू)	(%)
चंडीगढ़	1,523	1,523	0	0.0	1,732	1,732	0	0.0	1,571	1,571	0	0.0
दिल्ली	29,560	29,555	4	0.0	33,086	33,077	9	0.0	32,299	32,282	17	0.1
हरियाणा	53,161	53,108	53	0.1	54,505	54,492	13	0.0	53,665	53,665	0	0.0
हिमाचल प्रदेश	10,186	10,130	56	0.5	10,424	10,353	71	0.7	9,850	9,618	232	2.4
संघ राज्य क्षेत्र जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख	19,773	17,222	2,551	12.9	20,025	16,259	3,767	18.8	18,988	15,616	3,372	17.8
पंजाब	58,445	58,377	67	0.1	56,776	56,770	6	0.0	55,328	55,315	13	0.0
राजस्थान	85,311	85,205	106	0.1	81,281	81,222	58	0.1	79,815	79,626	189	0.2
उत्तर प्रदेश	124,367	123,383	984	0.8	122,549	121,004	1,545	1.3	117,133	116,149	984	0.8
उत्तराखंड	13,827	13,818	8	0.1	14,472	14,376	96	0.7	13,845	13,753	92	0.7
उत्तरी क्षेत्र	396,151	392,323	3,829	1.0	394,851	389,285	5,566	1.4	382,493	377,595	4,898	1.3
छत्तीसगढ़	30,472	30,449	22	0.1	30,111	30,107	4	0.0	26,471	26,417	54	0.2
गुजरात	111,622	111,622	0	0.0	113,940	113,939	1	0.0	116,372	116,356	15	0.0
मध्य प्रदेश	83,437	83,437	0	0.0	76,172	76,172	0	0.0	76,056	76,054	2	0.0
महाराष्ट्र	150,679	150,663	16	0.0	155,167	155,166	0	0.0	158,295	158,157	137	0.1
दमन एवं दवीप	2,223	2,223	0	0.0	2,574	2,574	0	0.0	2,558	2,558	0	0.0
दादरा एवं नगर हवेली	5,497	5,497	0	0.0	6,528	6,528	0	0.0	6,303	6,302	0	0.0
गोवा	4,083	4,083	0	0.0	4,350	4,350	0	0.0	4,295	4,292	3	0.1
पश्चिमी क्षेत्र	388,013	387,975	38	0.0	388,841	388,836	5	0.0	390,349	390,136	212	0.1
आंध्र प्रदेश	62,080	62,076	4	0.0	65,452	65,414	38	0.1	63,861	63,804	58	0.1
तेलंगाना	66,998	66,994	4	0.0	68,306	68,303	3	0.0	66,489	66,427	62	0.1
कर्नाटक	68,851	68,831	19	0.0	72,799	72,796	3	0.0	71,764	71,695	69	0.1
केरल	25,118	25,102	16	0.1	26,315	26,265	50	0.2	25,016	24,898	118	0.5
तमिलनाडु	101,194	101,189	5	0.0	108,816	108,812	4	0.0	109,482	109,380	102	0.1
पुदुचेरी	2,644	2,644	0	0.0	2,847	2,846	1	0.0	2,766	2,756	10	0.3
लक्षद्वीप#	56	56	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
दक्षिणी क्षेत्र	326,885	326,836	48	0.0	344,535	344,436	99	0.0	339,377	338,960	417	0.1
बिहार	34,171	34,018	153	0.4	31,627	31,533	94	0.3	30,061	29,825	236	0.8
डीवीसी	21,368	21,368	0	0.0	22,429	22,427	2	0.0	22,745	22,372	372	1.6
झारखंड	9,953	9,675	278	2.8	8,941	8,872	69	0.8	8,737	8,490	247	2.8
ओडिशा	29,848	29,848	0	0.0	29,692	29,692	0	0.0	32,145	32,115	30	0.1
पश्चिम बंगाल	51,644	51,543	100	0.2	52,948	52,824	124	0.2	51,471	51,287	184	0.4
सिक्किम	546	546	0	0.0	554	554	0	0.0	527	527	0	0.1
अंडमान एवं निकोबार#	346	323	23	7	346	323	23	7	346	323	23	7
पूर्वी क्षेत्र	147,530	146,999	531	0.4	146,191	145,902	289	0.2	145,686	144,616	1,070	0.7
अरुणाचल प्रदेश	719	714	5	0.7	753	749	4	0.5	869	859	9	1.1
असम	10,192	9,815	377	3.7	9,804	9,288	516	5.3	9,566	9,238	328	3.4
मणिपुर	974	969	5	0.5	924	917	6	0.7	905	895	10	1.2
मेघालय	2,031	2,005	26	1.3	2,112	2,064	48	2.3	1,957	1,956	2	0.1
मिजोरम	728	723	4	0.6	647	643	4	0.7	643	635	8	1.2
नागालैंड	826	822	4	0.5	814	809	5	0.7	888	795	93	10.5
त्रिपुरा*	1,484	1,481	3	0.2	1,538	1,515	23	1.5	1,863	1,841	22	1.2
उत्तर-पूर्वी क्षेत्र	16,955	16,531	424	2.5	16,591	15,984	607	3.7	16,691	16,219	472	2.8
अखिल भारतीय	1,275,534	1,270,663	4,871	0.4	1,291,010	1,284,444	6,566	0.5	1,274,595	1,267,526	7,070	0.6

#लक्षद्वीप और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह स्टैंड अलोन प्रणाली में हैं, इसलिए इनकी विद्युत आपूर्ति की स्थिति क्षेत्रीय आवश्यकता और आपूर्ति का भाग नहीं है।

* बांग्लादेश को आपूर्ति छोड़कर।

टिप्पणी: राज्य यूटिलिटी/विद्युत विभागों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर विद्युत आपूर्ति स्थिति रिपोर्ट संकलित की गई है। एमयू और मेगावाट के आंकड़े निकटतम इकाई स्थान पर राउंड ऑफ किए गए हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1674

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं के लिए कोयले और गैस की आवश्यकता

1674. श्री गोपाल शेट्टी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) अब तक प्रत्येक विद्युत परियोजना के लिए कोयले और गैस की महाराष्ट्र सहित राज्य-वार कुल आवश्यकता कितनी रही;
- (ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आपूर्ति की गई कोयले और गैस की वर्ष-वार मात्रा का ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या कोयले और गैस की आपूर्ति में कमी आई है;
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) कोयले और गैस की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में निगरानी किए गए विद्युत संयंत्रों (कोयला आधारित के साथ-साथ गैस आधारित) के लिए वर्ष 2021-22 के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य-वार और संयंत्र-वार कोयले और गैस की कुल आवश्यकता अनुबंध में दी गई है।

(ख) : पिछले 3 वर्षों और वर्तमान वर्ष (अप्रैल, 2021 से जून, 2021 तक) के दौरान कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा कुल कोयले की अधिप्राप्ति (घरेलू के साथ-साथ आयातित कोयले) के साथ-साथ गैस आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा गैस अधिप्राप्ति/खपत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (अप्रैल-जून)
कुल कोयले की अधिप्राप्ति (घरेलू + आयातित) (मिलियन टन)	643.7	638.7	596.3	171.7
कुल गैस की अधिप्राप्ति (एमएमएससीएमडी में *)	30.99	29.50	30.08	25.91

*एमएमएससीएमडी: मिलियन मीट्रिक मानक घन मीटर प्रति दिन।

(ग) और (घ) : पिछले तीन वर्षों के दौरान कोयले की अधिप्राप्ति में थोड़ी गिरावट दर्ज की गई है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान देश में प्रचलित कोविड-19 महामारी के प्रभाव के कारण अधिक गिरावट हुई थी। इसके साथ-साथ गैर-जीवाश्म ईंधन (नवीकरणीय ऊर्जा) से विद्युत उत्पादन का हिस्सा भी वर्षों से लगातार बढ़ रहा है जिसके

परिणामस्वरूप जीवाश्म ईंधन से विद्युत उत्पादन के हिस्से में कमी आई है और कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के संयंत्र भार घटक में भी कमी आई है। लगभग 30 एमएमएससीएमडी पर गैस आधारित विद्युत संयंत्रों द्वारा गैस की खपत लगभग नियमित है।

(ड) : विद्युत क्षेत्र को कोयले की आपूर्ति के मुद्दों का निपटान करने के लिए, विद्युत मंत्रालय, कोयला मंत्रालय, रेल मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, सीईए, एनटीपीसी और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)/ सिंगरेनी कोलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) के प्रतिनिधियों को शामिल करते हुए बनाए गए एक अंतर-मंत्रालयी उप-समूह द्वारा विद्युत संयंत्रों में कोयले के स्टॉक की गंभीर स्थिति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित किसी भी आकस्मिक परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न प्रचालनात्मक संबंधी निर्णय लेने के लिए नियमित रूप से बैठक की जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने संयंत्रों की कोयले और गैस की आवश्यकता को पूरा करने में सहायता देने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

- (i) सरकार ने मई, 2016 में राज्य/केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों द्वारा अधिक प्रचालन दक्ष संयंत्रों में कोयले का उपयोग करके और परिवहन लागत में बचत करके विद्युत उत्पादन की लागत को कम करने के लिए अपने उत्पादन स्टेशनों में घरेलू कोयले के उपयोग में लचीलापन लाने की अनुमति प्रदान की है। राज्य बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपीएस) को अपने लिंकेज कोयले को भी हस्तांतरित कर सकते हैं और इसके समतुल्य विद्युत प्राप्त कर सकते हैं।
- (ii) परिवहन लागत इष्टतमीकरण के उद्देश्य से राज्य/केंद्रीय विद्युत उत्पादन कंपनियों और आईपीपीयों के लिंकेज स्रोतों के युक्तिकरण की अनुमति प्रदान की गई है।
- (iii) सरकार ने ऐसे विद्युत संयंत्रों, जिनके पास लिंकेज नहीं हैं, को कोयला लिंकेज प्रदान करने के लिए शक्ति योजना (स्कीम फॉर हारनेसिंग एंड एलोकेटिंग कोयला (कोल) ट्रांसपैरेन्टली इन इंडिया)-2017 प्रारंभ की है। दिनांक 25.03.2019 की शक्ति नीति में किए गए संशोधन के अनुसार, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से डे अहेड मार्केट (डीएएम) में विद्युत की अल्पकालिक बिक्री के लिए या दक्षता ऊर्जा मूल्य (डीईईपी) पोर्टल की खोज के माध्यम से एक पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अल्पावधि में कोल लिंकेज लेने की भी अनुमति है।
- (iv) देश में घरेलू गैस की उपलब्धता के अनुसार गैस आधारित विद्युत उत्पादन स्टेशनों को घरेलू गैस आवंटित की जा रही है। आयातित आरएलएनजी (पुनःगैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस) को ओपन जनरल लाइसेंस (ओजीएल) के अधीन रखा गया है और गैस आधारित विद्युत संयंत्र परस्पर सहमत निबंधन और शर्तों के आधार पर आरएलएनजी आयात करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- (v) सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस का अन्वेषण करने और इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए आविष्कृत लघु क्षेत्र नीति, हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और लाइसेंसिंग नीति, उत्पादन साझाकरण अनुबंधों के विस्तार के लिए नीति, कोल बेड मीथेन के शीघ्र मुद्रीकरण के लिए नीति इत्यादि जैसे कई कदम उठाए हैं।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1674 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

वर्ष 2021-22 के लिए उत्पादन लक्ष्य पर आधारित संयंत्र-वार, राज्य-वार कोयला आवश्यकता		
क्रम सं.	टीपीएस का नाम	आंकड़े '000 टन में उत्पादन लक्ष्य पर आधारित कोयला आवश्यकता हजार टन (टीटी) में
	हरियाणा	
1	पानीपत टीपीएस	1418
2	राजीव गांधी टीपीएस	3610
3	यमुना नगर टीपीएस	2594
4	इंदिरा गांधी एसटीपीपी	2385
5	महात्मा गांधी टीपीएस	4428
	पंजाब	
6	जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	2265
7	रोपड़ टीपीएस	2043
8	राजपुरा टीपीपी	6355
9	तलवंडी साबो टीपीपी	8765
10	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	1207
	राजस्थान	
11	कोटा टीपीएस	5445
12	सूरतगढ़ टीपीएस	6076
13	छाबड़ा टीपीपी	9038
14	कालीसिंध टीपीएस	4697
15	कवाई टीपीएस	4925
	उत्तर प्रदेश	
16	अनपरा टीपीएस	12151
17	हरदुआगंज टीपीएस	3475
18	जवाहरपुर एसटीपीपी	33
19	ओबरा टीपीएस	3732
20	ओबरा-सी एसटीपीपी	721
21	परीछा टीपीएस	3447
22	दादरी (एनसीटीपीपी)	2727
23	रिहंद एसटीपीएस	13481
24	सिंगरौली एसटीपीएस	9315
25	टांडा टीपीएस	6988
26	ऊंचाहार टीपीएस	4490
27	रोसा टीपीपी फेज-I	3639
28	अनपरा सी टीपीएस	5443
29	मकसूदपुर टीपीएस	152
30	खांवरखेड़ा टीपीएस	152
31	बरखेड़ा टीपीएस	154
32	कुंदरकी टीपीएस	151
33	उतरौला टीपीएस	162
34	प्रयागराज टीपीपी	6367
35	ललितपुर टीपीएस	6024
36	मेजा एसटीपीपी	4716

	छत्तीसगढ़	
37	डीएसपीएम टीपीएस	2604
38	कोरबा-वेस्ट टीपीएस	6735
39	कोरबा एसटीपीएस	12899
40	सीपत एसटीपीएस	14242
41	पथाडी टीपीपी	3064
42	भिलाई टीपीएस	2646
43	बाल्को टीपीएस	2063
44	मारवा टीपीएस	5342
45	अकलतारा टीपीएस	6763
46	बारादरहा टीपीएस	5470
47	अवंथा भंडार	1691
48	तमनार टीपीपी	5938
49	बंदाखार टीपीपी	1425
50	नवापारा टीपीपी	2554
51	ओपी जिंदल टीपीएस	1930
52	बिंजकोट टीपीपी	1973
53	लारा टीपीपी	4862
54	रायखेडा टीपीपी	4127
55	उचपिंडा टीपीपी	2594
56	चाकबुरा टीपीपी	37
57	कसाड़पाली टीपीपी	311
58	रतिजा टीपीएस	112
	गुजरात	
59	साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	1175
60	सिक्का आरईपी. टीपीएस	1126
61	गांधी नगर टीपीएस	1355
62	उकई टीपीएस	4361
63	वानकबोरी टीपीएस	6546
64	मुंद्रा यूएमटीपीपी	10516
65	सलाया टीपीपी	2489
66	मुंद्रा टीपीएस	16767
	मध्य प्रदेश	
67	अमरकंटक एक्स्टें टीपीएस	933
68	संजय गांधी टीपीएस	5723
69	सतपुरा टीपीएस	2860
70	श्री सिंगाजी टीपीपी	9526
71	विध्याचल एसटीपीएस	24260
72	गदरवारा टीपीपी	4148
73	खरगोन एसटीपीपी	1621
74	बीना टीपीएस	1804
75	अनूपपुर टीपीपी	4839
76	सासन यूएमटीपीपी	17467
77	निगरी टीपीपी	3889
78	महान टीपीपी	3355
79	सिओनी टीपीपी	2164
80	निवारी टीपीपी	78
	महाराष्ट्र	
81	भुसावल टीपीएस	6275
82	चंद्रपुर (महाराष्ट्र) एसटीपीएस	15111

83	खापरखेड़ा टीपीएस	7502
84	कोराडी टीपीएस	9835
85	नासिक टीपीएस	2673
86	पारली टीपीएस	2453
87	पारस टीपीएस	2642
88	तिरौरा टीपीएस	14087
89	दहानु टीपीएस	2621
90	अमरावती टीपीएस	2895
91	जीएमआर वारोरा टीपीएस	2722
92	मौदा टीपीएस	3171
93	जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	3607
94	वर्धा वरौरा टीपीपी	760
95	धारीवाल टीपीपी	1553
96	ट्रॉम्बे सीसीपीपी	2034
97	सोलापुर	1628
98	बेला टीपीएस	131
	आंध्र प्रदेश	
99	डॉ एन. टाटा राव टीपीएस	11391
100	रायलसीमा टीपीएस	6594
101	सिम्हाद्री	5549
102	दामोदरम संजीवैयाह टीपीएस	7223
103	सिम्हापुरी टीपीएस	59
104	थामिनापट्टनम टीपीएस	77
105	विजाग टीपीपी	1964
106	पैनमपुरम टीपीपी	6450
107	एसजीपीएल टीपीपी	5040
	कर्नाटक	
108	रायचूर टीपीएस	7020
109	बेल्तारी टीपीएस	5008
110	उडुपी टीपीपी	1686
111	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-I)	606
112	टोरंगलु टीपीएस (एसबीयू-II)	443
113	कुडगी एसटीपीपी	1130
114	येरमारस टीपीपी	3850
	तमिलनाडु	
115	मेट्टूर टीपीएस	4545
116	नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	10032
117	तूतीकोरिन टीपीएस	4636
118	मेट्टूर टीपीएस-II	2633
119	वल्लूर टीपीपी	6308
120	मुथियारा टीपीपी	2648
121	तूतीकोरिन (जेवी) टीपीपी	3865
122	आईटीपीसीएल टीपीपी	3244
123	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	976
	तेलंगाना	
124	भद्रादरी टीपीपी	3656
125	रामागुंडम एसटीपीएस	10105
126	काकतिया टीपीएस	4088
127	रामागुंडम-बी टीपीएस	294
128	कोथागुंडम टीपीएस (न्यू)	4660

129	कोथागुडेम टीपीएस (स्टेज-7)	3968
130	सिंगरैनी टीपीपी	5399
131	तेलंगाना एसटीपीपी	147
	बिहार	
132	मुजफ्फरपुर टीपीएस	2446
133	कहलगाँव टीपीएस	8876
134	बाढ़-I	935
135	बाढ़-II	5694
136	बरौनी टीपीएस	1077
137	नबी नगर टीपीपी	3802
138	नबी नगर एसटीपीपी	3834
	झारखंड	
139	चंद्रपुर (डीबीसी) टीपीएस	1915
140	टेनुघाट टीपीएस	1642
141	बोकारो बी टीपीएस	265
142	बोकारो टीपीएस 'ए' एक्सपी	1807
143	मैथॉन आरबी टीपीपी	4400
144	कोडरमा टीपीपी	3723
145	नॉर्थ करणपुरा टीपीपी	262
146	महादेव प्रसाद एसटीपीपी	2378
147	जोजोबेरा टीपीएस	1019
	ओडिशा	
148	आईबी वैली टीपीएस	7721
149	दार्लीपल्ली एसटीपीएस	4100
150	तालचर (ओल्ड) टीपीएस	3010
151	तालचर एसटीपीएस	15934
152	राऊरकेला पीपी-II एक्सपेंशन	302
153	स्टरलाइट टीपीपी	1147
154	कमलंगा टीपीएस	5542
155	देरांग टीपीपी	2862
	पश्चिम बंगाल	
156	दुर्गापुर टीपीएस	290
157	बकरेश्वर टीपीएस	4943
158	मेजिया टीपीएस	8699
159	बंदेल टीपीएस	834
160	डी.पी.एल. टीपीएस	1924
161	कोलाघाट टीपीएस	3839
162	सागरदिघी टीपीएस	5016
163	संतालडिह टीपीएस	2363
164	बज बज टीपीएस	3328
165	सदर्न रिप. टीपीएस	218
166	फरक्का एसटीपीएस	7632
167	दुर्गापुर स्टील टीपीएस	4163
168	हल्दिया टीपीपी	2900
169	रघुनाथपुर टीपीपी	3906
170	हिरनमये टीपीपी	673
	असम	
171	बोंगाईगाँव टीपीपी	1678

राज्य-वार और संयंत्र-वार गैस आवश्यकता		
क्रम सं.	विद्युत स्टेशन का नाम	गैस आवश्यकता (एमएमएससीएमडी में)
	आंध्र प्रदेश	
1	गोदावरी (जेगुरुपडु)	1.12
2	गौतमी सीसीपीपी	2.21
3	जीएमआर - काकीनाडा (तनिरवावी)	1.05
4	जीएमआर-राजमुंदरी एनर्जी लिमिटेड	3.67
5	गोदावरी (स्पेक्ट्रम)	0.99
6	जेगुरुपडु सीसीपीपी (जीवीके) फेज-II	1.05
7	कोनासीमा सीसीपीपी	2.12
8	कोंडापल्ली एक्सटेंशन सीसीपीपी	1.75
9	कोंडापल्ली एसटी-3 सीसीपीपी (लैंको)	3.54
10	कोंडापल्ली सीसीपीपी (लैंको)	1.76
11	पेड्डापुरम (बीएसईएस)	1.05
12	वेमागिरी सीसीपीपी	1.77
13	विजेश्वरन सीसीपीपी	1.30
14	पीसीआईएल पावर एंड होल्डिंग्स लिमिटेड*	0.14
15	आरवीके एनर्जी*	0.13
16	सिल्क रोड शुगर*	0.17
17	एलवीएस पावर	0.26
	असम	
18	कथलगुरी (नीपको)	1.39
19	लकवा जीटी (एसईबी, मैबेला)	0.46
20	लकवा रिप्लेसमेंट सीसीपीपी***	0.33
21	नामरूप सीसीपीपी + एसटी (एपीजीसीएल)	0.78
22	डीएलएफ असम जीटी*	0.12
	दिल्ली	
23	आई.पी. सीसीपीपी	1.29
24	प्रगति सीसीजीटी-III	7.16
25	प्रगति सीसीपीपी	1.58
26	रिठाला सीसीपीपी (एनडीपीएल)	0.52
	गुजरात	
27	एनटीपीसी, गांधार (झानोर) सीसीपीपी	3.14
28	एनटीपीसी, कवास सीसीपीपी	3.13
29	धुवरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	2.84
30	हजीरा सीसीपीपी (जीएसईजी)	0.75
31	हजीरा सीसीपीपी एक्सटें.	1.68
32	पीपावाव सीसीपीपी	3.35
33	उतरन सीसीपीपी (जीएसईसीएल)	1.79
34	बड़ौदा सीसीपीपी (जीआईपीसीएल)	0.76
35	एस्सार सीसीपीपी	1.43
36	पेगुथन सीसीपीपी (सीएलपी)	3.13
37	सुजेन सीसीपीपी (टोरेंट)	5.48
38	उनोसुजेन सीसीपीपी	1.83
39	डीजीईएन मेगा सीसीपीपी	5.73

	हरियाणा	
40	एनटीपीसी, फरीदाबाद सीसीपीपी	2.06
	महाराष्ट्र	
41	रत्नागिरी (आरजीपीपीएल-धभोल)	9.39
42	उरण सीसीपीपी (महाजँको)	3.21
43	ट्रॉम्बे सीसीपीपी (टीपीसी)	0.86
44	मनगांव सीसीपीपी	1.85
	पुडुचेरी	
45	कराईकल सीसीपीपी (पीपीसीएल)	0.16
	राजस्थान	
46	एनटीपीसी, अंता सीसीपीपी	2.00
47	धौलपुर सीसीपीपी	1.58
48	रामगढ़ (आरआरवीयूएनएल, जैसलमेर)	1.31
	तमिलनाडु	
49	कोविकलपाल (थिरुमाकोट्टई)	0.51
50	कुट्टलम (टेनजेडको)	0.48
51	वलुथुर सीसीपीपी	0.89
52	करुप्पुर सीसीपीपी (लैंको तंजौर)	0.57
53	पी. नाल्लूर सीसीपीपी (पीपीएन)	1.58
54	वैलेंटरवी सीसीपीपी	0.25
	त्रिपुरा	
55	अगरतला जीटी+एसटी (नीपको)	0.64
56	मोनार्चक (नीपको)	0.48
57	त्रिपुरा सीसीपीपी (ओएनजीसी)	3.47
58	बारामुरा जीटी (टीएसईसीएल)	0.28
59	रोखिया जीटी (टीएसईसीएल)	0.53
	उत्तर प्रदेश	
60	एनटीपीसी, औरैया सीसीपीपी	3.17
61	एनटीपीसी, दादरी सीसीपीपी	3.96
	उत्तराखंड	
62	गामा सीसीपीपी	1.07
63	काशीपुर सीसीपीपी (सारावंथी)	1.07

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1683

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

नई विद्युत परियोजनाएं

1683. श्री हेमन्त पाटिल:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का नई विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने का प्रस्ताव है;
- (ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र में कितनी नई विद्युत परियोजनाओं का प्रस्ताव है;
- (ग) क्या महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के सहस्त्रकुंड में विद्युत परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना के कब तक शुरू होने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विद्युत उत्पादन एक लाइसेंस रहित गतिविधि है। विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना विद्युत की मांग और तकनीकी-वाणिज्यिक व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर विभिन्न यूटिलिटीयों और राज्य/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयूज) द्वारा की जाती है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीजीसीएल) ने कोराडी थर्मल पावर स्टेशन (टीपीएस), जिला नागपुर, महाराष्ट्र में 2x660 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर क्रिटीकल ताप विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किया है। महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया है। एमएसपीजीसीएल ने गैस टर्बाइन पावर स्टेशन (जीटीपीएस), उरण, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र में 672 मेगावाट की कुल मौजूदा क्षमता की मौजूदा कम्बाइंड साइकिल पावर प्लांट (सीसीपीपी) का अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी, उच्च दक्ष यूनिटों के साथ रूपांतर करने का भी प्रस्ताव किया है जो मौजूदा क्षमता को बढ़ाकर 800 मेगावाट कर देगा।

इसके अलावा, जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार निम्नलिखित 4 नई पम्पड भंडारण स्कीमें (जल विद्युत परियोजनाएं) संस्थापित करने की योजना बना रहा है जो इस समय डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) स्तर पर हैं:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1) वारसगांव पम्पड भंडारण स्कीम | - 4x300 मेगावाट |
| 2) पनशेट पम्पड भंडारण स्कीम | - 4x400 मेगावाट |
| 3) वारधघाट पम्पड भंडारण स्कीम | - 2x400 मेगावाट |
| 4) चिखलदारा पम्पड भंडारण स्कीम | - 2x200 मेगावाट |

(ग) और (घ) : जल संसाधन विभाग, महाराष्ट्र सरकार द्वारा सहस्त्रकुंड में 20 मेगावाट क्षमता की एक लघु जल विद्युत परियोजना का प्रस्ताव किया गया है जो प्रारंभिक सर्वेक्षण स्तर पर है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1717

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

एनटीपीसी संयंत्र की स्थापना

1717. श्री अशोक कुमार रावत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के बिलहौर में एनटीपीसी संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई निर्णय लिया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;
- (ग) इसकी स्थापना पर कितनी धनराशि खर्च होने की संभावना है; और
- (घ) उक्त संयंत्र के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित एनटीपीसी की बिलहौर सौर परियोजना (225 मेगावाट) 08.04.2021 से पूर्णतः आरंभ हो गई है। दिनांक 30.06.2021 तक बिलहौर सौर परियोजना (225 मेगावाट) पर 907.42 करोड़ रुपये का व्यय हुआ।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1720

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और विकास

1720. श्री सदाशिव किसान लोखंडे:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं की स्थापना और विकास के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या केंद्र सरकार ने इन विद्युत परियोजनाओं की संस्वीकृति के लिए कोई कदम उठाया है/उठा रही है;
- (घ) इस संबंध में राज्यों के साथ हस्ताक्षरित समझौते का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) उक्त कार्य के लिए राज्य-वार आवंटित राशि कितनी है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, ताप विद्युत परियोजनाएं संस्थापित करने के लिए केन्द्रीय सरकार की सहमति अपेक्षित नहीं है। पिछले तीन वर्षों में ताप विद्युत परियोजनाओं के संस्थापन एवं विकास के लिए किसी भी राज्य सरकार से कोई भी प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, कोई भी उत्पादन कंपनी, जो जल विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने का इरादा रखती है, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित, एक स्कीम, जिसमें धनराशि (वर्तमान में 1000 करोड़ रुपये) से अधिक पूंजीगत व्यय होने का अनुमान हो, तैयार करने और सहमति के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करने का अनुरोध है। पिछले तीन वर्षों में, केवल बिहार राज्य हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन (बीएसएचपीसीएल), बिहार सरकार ने सीईए की सहमति प्राप्त करने के लिए 08.06.2021 को 1951.15 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ 130.1 मेगावाट डागमारा एचईपी की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की है। बीएसएचपीसीएल, बिहार सरकार तथा एनएचपीसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के एक सीपीएसयू, के बीच पारस्परिक रूप से स्वीकार्य निबंधन एवं शर्तों के आधार पर एनएचपीसी लिमिटेड को स्वामित्व आधार पर 130.1 मेगावाट डागमारा एचईपी के आबंटन के लिए 14.06.2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दिनांक 08.03.2019 को जारी जल विद्युत नीति के दिशानिर्देशों के अनुसार, पात्र जल विद्युत परियोजनाओं के लिए मानदंडों तथा नियत प्रक्रिया के अनुसरण के अनुसार अवसंरचना तथा बाढ़ नियंत्रण के सक्षमीकरण के लिए निधियों के आबंटन हेतु प्रावधान है। परियोजना प्रस्तावकों से आवेदन प्राप्त होने पर निधियां आवंटित की जाती हैं।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1737

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियां

1737. श्री नरेन्द्र कुमार:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) के अंतर्गत प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
- (ख) इसके अंतर्गत कितने ग्रामीण अवसंरचनाओं का निर्माण किया है गया है; और
- (ग) उक्त योजना के अंतर्गत देश में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देशभर में ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यो हेतु दिसम्बर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) का शुभारंभ किया था। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत देशभर में सभी आवासित गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गांव विद्युतीकृत हो गए हैं। कुल मिलाकर, वर्ष 2014-15 से दिनांक 28.04.2018 तक 19,779 गैर-विद्युतीकृत जनगणना वाले गांवों के विद्युतीकरण की सूचना प्राप्त हुई थी। 'डीडीयूजीजेवाई नई परियोजनाएं और अतिरिक्त अवसंरचना' श्रेणी (30 जून, 2021 तक) के अंतर्गत सृजित अवसंरचना के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्र.सं.	मर्दे	
1.	सब-स्टेशन (संवर्धन सहित)	4194
2.	वितरण ट्रांसफार्मर	600679
3.	फीडर पृथक्करण (सीकेएम)	129306
4.	11 केवी लाइनें (सीकेएम)	181558
5.	एलटी लाइनें (सीकेएम)	478197
6.	33 केवी एवं 66 केवी लाइनें (सीकेएम)	22549
7.	उपभोक्ता ऊर्जा मीटर	15430154
8.	वितरण ट्रांसफार्मर मीटर	249186
9.	11 केवी फीडर मीटर	13851

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1742

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

चालू विद्युत परियोजनाएं

1742. श्री सुमेधानन्द सरस्वती:

श्री बालकनाथ:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय देश में चल रही विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उक्त परियोजनाओं के माध्यम से राजस्थान, हरियाणा और गुजरात सहित राज्य-वार कितनी विद्युत का उत्पादन किया गया है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश भर में उक्त परियोजनाओं के तहत कितनी निधि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई है;

(ग) क्या उक्त परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ङ) : वर्तमान में देश में कुल 12,763.5 मेगावाट की 37 जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधि के विवरण के साथ-साथ समय आधिक्य के ब्यौरे अनुबंध-1 पर दिए गए हैं। ये परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं, इसलिए इन विद्युत परियोजनाओं में कोई उत्पादन नहीं हो रहा है।

ताप विद्युत परियोजनाओं के संबंध में, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 7 के अनुसार, "कोई भी उत्पादन कंपनी इस अधिनियम के तहत कोई उत्पादन कंपनी निर्दिष्ट ग्रिड से संयोजना से संबंधित तकनीकी मानकों को पूरा करती है तो इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्ति/अनुमति प्राप्त किए बिना किसी उत्पादन केंद्र की स्थापना, उसका प्रचालन और रख-रखाव कर सकती है। तदनुसार, ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।" वर्तमान में देश में कुल 56,650 मेगावाट की 56 ताप विद्युत

परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। इन 56 ताप विद्युत परियोजनाओं में से, कुल 8,575 मेगावाट की क्षमता वाली 13 परियोजनाएं आंशिक रूप से चालू हैं और इनसे कुल 44,647 एमयू (अप्रैल-2020 से जून-2021 तक) विद्युत का उत्पादन किया गया है। पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन परियोजनाओं के तहत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई निधियों के वितरण के साथ-साथ समय आधिक्य का ब्यौरा अनुबंध-II में दिया गया है।

जल-विद्युत और ताप-विद्युत परियोजनाओं के समय पर पूरा होने में विलंब के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:

- कोविड महामारी के कारण कार्य का धीमा होना
- संविदात्मक मुद्दे
- रेलवे लाइन/रेलवे साइडिंग की तैयारी में कमी
- उपस्कर निर्माताओं द्वारा आपूर्ति में विलंब
- भूमि अधिग्रहण में विलंब
- स्थानीय मुद्दों के कारण कार्य में बाधा
- मुकदमेबाजी
- डिजाइन में बदलाव के कारण विलंब
- कोयला खदानें, कोयला लिंकेज मिलने में विलंब।
- भू-गर्भीय विस्मय (जल विद्युत परियोजनाओं के मामले में)

विद्युत परियोजनाओं को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए विद्युत मंत्रालय (एमओपी)/केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई/कदम उठाए गए हैं:

- विद्युत मंत्रालय/सीईए लगातार स्थल दौरों और विकासकर्ताओं एवं अन्य हितधारकों के साथ बातचीत के माध्यम से निर्माणाधीन विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी करता है। सीईए परियोजनाओं को चालू करने के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों की पहचान करने और उन्हें हल करने के लिए विकासकर्ताओं और अन्य हितधारकों के साथ समय-समय पर समीक्षा बैठकें करता है।
- अंतर-मंत्रालयी और अन्य बकाया मुद्दों के तेजी से समाधान के लिए बाधा क्षेत्रों की पहचान करने हेतु विद्युत मंत्रालय में नियमित समीक्षा भी की जाती है।
- केंद्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) परियोजनाओं के मामले में, परियोजना कार्यान्वयन मानदंडों/लक्ष्यों को संबंधित सीपीएसयू और विद्युत मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित वार्षिक समझौता ज्ञापन में शामिल किया जाता है और विद्युत मंत्रालय/सीईए में आयोजित सीपीएसयू की तिमाही निष्पादन समीक्षा बैठकों और अन्य बैठकों के दौरान इसकी निगरानी की जाती है।
- परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को मुद्दों को हल करने में सहायता प्रदान करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मामलों को राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ उठाया जा रहा है।
- राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) मुद्दों के समाधान में परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता प्रदान करने के लिए राज्य सरकार/जिला प्रशासन के साथ मामले उठाए जाते हैं।
- जब भी आवश्यक हो, सक्रिय अभिशासन और समय पर कार्यान्वयन के लिए पीएमओ के प्रगति पोर्टल में भी मुद्दों की समीक्षा की जाती है।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1742 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन जल-विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जून-2021 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश										
1	पोलावरम (12x80 = 960 मेगावाट) एपजैको/सिंचाई विभाग, आंध्र प्रदेश	1	80	2016-17	2024-25	} 96	92.87	6.84	36.63	0.42
		2	80	2016-17	2024-25					
		3	80	2016-17	2024-25					
		4	80	2016-17	2024-25					
		5	80	2016-17	2024-25					
		6	80	2016-17	2024-25					
		7	80	2017-18	2025-26					
		8	80	2017-18	2025-26					
		9	80	2017-18	2025-26					
		10	80	2017-18	2025-26					
		11	80	2017-18	2025-26					
		12	80	2017-18 (मार्च '18)	2025-26 (मार्च, 26)					
(कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध)										
अरुणाचल प्रदेश										
2	सुबानसिरी लोअर (8x250 = 2000 मेगावाट) एनएचपीसी	1	250	2009-11	2023-24	} 155	765.55	1407.67	1380.72	444.72
		2	250	2009-11	2023-24					
		3	250	2009-11	2023-24					
		4	250	2009-11	2023-24					
		5	250	2009-11	2023-24					
		6	250	2009-11	2023-24					
		7	250	2009-11	2023-24					
		8	250	2009-11 (सितंबर '10)	2023-24 (अगस्त, 23)					
असम										
3	लोअर कोपिली (2x55+2x2.5+1x5 =120 मेगावाट)	1	55	2024-25	2024-25	शून्य	63.80	#	#	11.23
		2	55	2024-25	2024-25					
		3	5	2024-25	2024-25					
		4	2.5	2024-25	2024-25					
		5	2.5	2024-25 (जून '24)	2024-25 (जून '24)					
हिमाचल प्रदेश										
4	पारबती-II (4x200 = 800 मेगावाट) एनएचपीसी	1	200	2009-10	2022-23	} 162	574.54	599.16	989.94	217.06
		2	200	2009-10	2022-23					
		3	200	2009-10	2022-23					
		4	200	2009-10 (सितंबर '09)	2022-23 (मार्च, 23)					

*निर्माण रुका हुआ है।

@ वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ है।

परियोजना वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नहीं थी। निर्माण बाद के वर्षों में शुरू हुआ।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जून-2021 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	उहल-III (3x33.33 = 100 मेगावाट) बीवीपीसीएल	1 2 3	33.33 33.33 33.33	2006-07 2006-07 2006-07 (मार्च'07)	2022-23 2022-23 2022-23 (दिसंबर,22)	189 189 189	253.36	352.22	156.87	34.33
6	शॉगटम करचम (3x150 = 450 मेगावाट) एचपीपीसीएल	1 2 3	150 150 150	2016-17 2016-17 2016-17 (मार्च'17)	2024-25 2024-25 2024-25 (मार्च,25)	92 94 96	260.49	172.15	230.12	-
7	बजोली होली 3x60= 180 मेगावाट मैसर्स जीएमआर बजोली होली	1 2 3	60 60 60	2018-19 2018-19 2018-19 (मई'18)	2021-22 2021-22 2021-22 (सितंबर,21)	40	435	293	588	127
8	सोरांग (2x50 = 100 मेगावाट), एचएसपीपीएल	1 2	50 50	2011-12 2011-12 (नवंबर'11)	2021-22 2021-22 (जुलाई'21)	116	-	91.08	177.83	-
9*	टंगनु रोमई-1 (2x22 = 44 मेगावाट) टीआरपीजीपीएल	1 2	22 22	2014-15 2014-15 (जून'14)	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरु होने से संबद्ध (4 वर्ष))	129	@	@	@	@
10	टिडोंग-1 2x50 =100 मेगावाट एनएसएल टिडोंग (दिनांक 04.09.2018 सेस्टेटक्राफ्ट इंडिया प्रा. लिमिटेड ने परियोजना में 100% इन्विटी अधिग्रहित कर ली है)	1 2	50 50	2013-14 2013-14 (दिसंबर'13)	2022-23 2022-23 (जून 22)	102	456	616.26	78	185
11	कुटेहर 3x80=240 मेगावाट जेएसडब्ल्यू एनर्जी (कुटेहर) लि.	1 2 3	80 80 80	2024-25 2024-25 2024-25 (नवंबर'24)	2025-26 2025-26 2025-26 (नवंबर'25)	12	#	#	413	-
12	लुहरी-1 2X80+2X25=210 मेगावाट (एसजेवीएन)	1 2 3 4	80 80 25 25	2025-26	2025-26	-	104	178.18	239.77	40
13	धौलासिद्ध (एसजेवीएन) 2x33=66 मेगावाट	1 2	33 33	2025-26	2025-26	-	#	#	#	5
जम्मू व कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र सरकार										
14	पकल दुल (4x250= 1000 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	250 250 250 250	2020-21 2020-21 2020-21 2020-21 (अप्रैल'20)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (जुलाई'25)	63	173.60	251.04	429.55	173.13
15	परनई 3x12.5= 37.5 मेगावाट	1 2	12.5 12.5	2017-18 2017-18	2022-23 2022-23	62	53.12	32.07	17.95	6.08

*निर्माण रुका हुआ है।

@ वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ है।

परियोजना वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नहीं थी। निर्माण बाद के वर्षों में शुरू हुआ।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जून-2021 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	जेकेएसपीडीसी	3	12.5	2017-18 (जनवरी'18)	2022-23 (मार्च,23)					
16*	लोअर कलनई 2x24= 48 मेगावाट जेकेएसपीडीसी	1 2	24 24	2017-18 2017-18 (सितंबर'17)	2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	} 102	@	@	@	@
17	किरू (4x156=624 मेगावाट) सीवीपीपीएल	1 2 3 4	156 156 156 156	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (अगस्त,23)	2024-25 2024-25 2024-25 2024-25 (अगस्त,24)	} 12	24.96	177.25	185.68	55.15
18*	रतले (4x205+1x30) = 850 मेगावाट आरएचपीपीएल/ एनएचपीसी	1 2 3 4 5	205 205 205 205 30	2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 2017-18 (जनवरी,18)	2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (5 वर्ष))	} 96	@	@	@	53.50
केरल										
19	पल्लीवासल 2x30 = 60 मेगावाट केएसईबी	1 2	30 30	2010-11 2010-11 (मार्च'11)	2021-22 2021-22 (दिसंबर,21)	} 129	43.01	53.31	39.25	8.45
20	थोटियार (1x30+1x10)= 40 मेगावाट केएसईबी	1 2	30 10	2012-13 2012-13 (अप्रैल'12)	2021-22 2021-22 (दिसंबर,21)	} 116	2.53	13.59	47.04	3.85
मध्य प्रदेश										
21*	महेश्वर (10x40 = 400 मेगावाट) एसएमएचपीसीएल	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 2001-02 (मार्च'02)	2023-24 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (दो वर्ष))	264	शून्य	@	@	शून्य
महाराष्ट्र										
22*	कोयना लेफ्ट बैंक पीएसएस 2x40 = 80 मेगावाट डब्ल्यूआरडी, महा.	1 2	40 40	2014-15 2014-15 (अक्तूबर'14)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))	} 137	@	@	@	@
पंजाब										
23	शाहपुरकंडी 3x33+3x33+1x8 =206 मेगावाट, सिंचाई विभाग	1 2 3	33 33 33	2015-16 2015-16 2015-16	2023-24 2023-24 2023-24	} 93	79.96	332.85	1019.49	-

*निर्माण रुका हुआ है।

@ वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ है।

परियोजना वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नहीं थी। निर्माण बाद के वर्षों में शुरू हुआ।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जून-2021 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	और पीएसपीसीएल	4	33	2015-16	2023-24					
		5	33	2015-16	2023-24					
		6	33	2015-16	2023-24					
		7	8	2015-16	2023-24 (दिसंबर, 23)					
	सिक्किम									
24	तीस्ता स्टेज-VI (4x125 = 500 मेगावाट) बैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लि. (एलटीएचपीएल)(परियोजना को एनएचपीसी ने दिनांक 08.03.2019 से टेकओवर कर लिया है)	1	125	2012-13	2023-24	} 140	@	@	@	45
		2	125	2012-13	2023-24					
		3	125	2012-13	2023-24					
		4	125	2012-13 (जुलाई'12)	2023-24 (मार्च,24)					
25*	भास्मे (2x25.5 =51 मेगावाट) गति इंफ्रास्ट्रक्चर	1	25.5	2012-13	2024-25	} 153	@	@	@	-
		2	25.5	2012-13 (जून'12)	2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3 वर्ष))					
26*	रंगित-IV एचई परियोजना (3X40 = 120 मेगावाट) जेपीसीएल	1	40	2011-12	2025-26	} 170	@	@	@	-
		2	40	2011-12	2025-26					
		3	40	2011-12 (जनवरी'12)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3-½ वर्ष))					
27*	रंगित-II 2x33= 66 मेगावाट सिक्किम हाइड्रो पावर लि.	1	33	2015-16	2024-25	} 119	1.07	@	@	@
		2	33	2015-16 (अप्रैल'15)	2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (2-½ वर्ष))					
28*	पन्न 4x75= 300 मेगावाट हिमगिरी हाइड्रो एनर्जी प्रा. लि.	1	75	2018-19	2025-26	} 84	@	@	@	0.05
		2	75	2018-19	2025-26					
		3	75	2018-19	2025-26					
		4	75	2018-19	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4-½ वर्ष))					
	तमिलनाडु									
29	कुंडहा पीएसपी (फेज-I, फेज-II व फेज-III) (4x125=500 मेगावाट) टेनजेडको	1	125	2021-22	2023-24	} 20	50.84	79.39	42.13	32.52
		2	125	2021-22	2023-24					
		3	125	2021-22	2023-24					
		4	125	2021-22 (अगस्त,21)	2023-24 (अप्रैल, 23)					
	उत्तराखंड									
30*	लता तपोवन (3x57 = 171 मेगावाट) एनटीपीसी	1	57	2017-18	2025-26	} 103	@	@	0.30	@
		2	57	2017-18	2025-26					
		3	57	2017-18 (अगस्त'17)	2025-26 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (4 वर्ष))					
31	तपोवन विष्णुगाड	1	130	2012-13	2023-24		414.11	527.07	425.99	96.30

*निर्माण रुका हुआ है।

@ वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ है।

परियोजना वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नहीं थी। निर्माण बाद के वर्षों में शुरू हुआ।

क्रम सं.	परियोजना का नाम/ (संस्थापित क्षमता) /निष्पादन एजेंसी	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का मूल समय	चालू होने का अनुमानित समय	समय आधिक्य (माह)	किया गया व्यय (करोड़ रुपये में)			
							2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 (जून-2021 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	(4x130 = 520 मेगावाट) एनटीपीसी	2 3 4	130 130 130	2012-13 2012-13 2012-13 (मार्च'13)	2023-24 2023-24 2023-24	132				
32	टिहरी पीएसएस (4x250 = 1000 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	250 250 250 250	2010-11 2010-11 2010-11 2010-11 (जुलाई'10)	2022-23 2022-23 2022-23 2022-23 (दिसंबर'22)	149	310.46	582.46	565.59	103.19
33	नैटवर मोरी (2x30 = 60 मेगावाट) एसजेवीएनएल	1 2	30 30	2021-22 2021-22 (दिसंबर'21)	2022-23 2022-23 (जून'22)	6	99	156.97	214.15	49
34	विष्णुगाड पीपलकोटि (4x111 = 444 मेगावाट) टीएचडीसी	1 2 3 4	111 111 111 111	2013-14 2013-14 2013-14 2013-14 (जून'13)	2023-24 2023-24 2023-24 2023-24 (दिसंबर'23)	126	250.47	332.63	270.96	45.40
35	व्यासी 2x60=120 मेगावाट, यूजेवीएनएल	1 2	60 60	2014-15 2014-15 (दिसंबर'14)	2022-23 2022-23 (अप्रैल,22)	88	395.06	387.41	355.61	116.40
36*	फाटा ब्यूंग (2x38 = 76 मेगावाट), लैंको	1 2	38 38	2012-13 2012-13 (जून'12)	2024-25 2024-25 (कार्यों के पुनः शुरू होने से संबद्ध (3 वर्ष))	153	@	@	@	@
पश्चिम बंगाल										
37	रम्माम-III (3x40= 120 मेगावाट)	1 2 3	40 40 40	2019-20 2019-20 2019-20 (सितंबर'19)	2022-23 2022-23 2022-23 (नवंबर,22)	38	104.19	70.11	142.20	10

*निर्माण रुका हुआ है।

@ वर्ष के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया क्योंकि निर्माण कार्य रुका हुआ है।

परियोजना वर्ष के दौरान निर्माणाधीन नहीं थी। निर्माण बाद के वर्षों में शुरू हुआ।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1742 के भाग (क) से (ड) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

निर्माणाधीन ताप-विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	कार्यान्वयन एजेंसी	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	नवीनतम पूर्व परीक्षण/ सीओडी	अनुमानित पूर्व परीक्षण/सीओडी (परियोजना प्राधिकरण द्वारा दिया गया)	व्यय (करोड़ रुपये में)				समय आधिक्य (माह)
								2018-19	2019-20	2020-21	2021-22 मई-21 तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
केंद्रीय क्षेत्र												
1	बिहार	एनटीपीसी	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	फरवरी-10	जुलाई-21	1453.9	1502.5	1123.15	138.62	137.00
		एनटीपीसी		यू-2	660	दिसंबर-10	मार्च-22					135.00
		एनटीपीसी		यू-3	660	अक्टूबर-11	जुलाई-23					141.00
2	बिहार	एनटीपीसी और रेलवे का जेवी	नबी नगर टीपीपी	यू-4	250	जून-14	अगस्त-21	620.79	399.42	356.48	28.8	86.00
3	बिहार	एनपीजीसीएल	न्यू नबी नगर टीपीपी	यू-3	660	मई-18	नवंबर-21	1786	1373.2	1243.28	26	42.00
4	झारखंड	एनटीपीसी	नोंर्थ करणपुरा एसटीपीपी	यू-1	660	जून-18	दिसंबर-21	1747.9	1762.6	1243.28	102.59	42.00
		एनटीपीसी		यू-2	660	दिसंबर-18	जून-22					42.00
		एनटीपीसी		यू-3	660	जून-19	दिसंबर-22					42.00
5	ओडिशा	एनटीपीसी	दार्लीपल्ली एसटीपीपी*	यू-2	800	दिसंबर-18	जुलाई-21	1598.3	1824.6	775.27	115.01	31.00
6	तेलंगाना	एनटीपीसी	तेलंगाना एसटीपीपी स्टे.-I	यू-1	800	मई-20	मार्च-22	2535.7	2599.5	1308.35	149.94	22.00
		एनटीपीसी		यू-2	800	नवंबर-20	जुलाई-22					20.00
7	उत्तर प्रदेश	एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी	घाटमपुर टीपीपी	यू-1	660	मई-20	नवंबर-21	3517.8	3525.2	2253.18	398.84	18.00
		एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी		यू-2	660	नवंबर-20	मार्च-22					16.00
		एनएलसी और यूपीआरवीयूएनएल का जेवी		यू-3	660	मई-21	जुलाई-22					14.00
8	राजस्थान	एनएलसी	बरसिंगर टीपीपी एक्सटें.	यू-1	250			3.67	-	-		उपलब्ध नहीं
9	राजस्थान	एनएलसी	बिथनोक टीपीपी	यू-1	250			3.67	-	-		उपलब्ध नहीं
10	झारखंड	एनटीपीसी और झारखंड बिद्युत वितरण निगम लि. का जेवी	पतरातु एसटीपीपी	यू-1	800	जनवरी-22	अगस्त-23	745.41	1392	1813.96	172.66	19.00
		एनटीपीसी और झारखंड बिद्युत वितरण निगम लि. का जेवी		यू-2	800	जुलाई-22	फरवरी-24					19.00
		एनटीपीसी और झारखंड बिद्युत वितरण निगम लि. का जेवी		यू-3	800	जनवरी-23	अगस्त-24					19.00
11	ओडिशा	एनटीपीसी और भारतीय इस्पात प्राधिकरण (सेल) का जेवी	राऊरकेला पीपी-II एक्सटेंशन	यू-1	250	अक्टूबर-18	अक्टूबर-21	448.96	354.67	249.47	11.02	36.00
12	उत्तर प्रदेश	टीएचडीसी	खुर्जा एससीटीपीपी	यू-1	660	जुलाई-23	जनवरी-24	148.87	439.95	89.34	39.03	6.00
		टीएचडीसी		यू-2	660	जनवरी-24	जुलाई-24					6.00
13	बिहार	एसजेवीएन	बक्सर टीपीपी	यू-1	660	जुलाई-23	जुलाई-23	68.21	344.5	1100.05	37.11	0.00
		एसजेवीएन		यू-2	660	जनवरी-24	जनवरी-24					0.00

राज्य क्षेत्र												
1	आंध्र प्रदेश	एपजैको	डॉ. नारला टाटा राव टीपीएस स्टे.-V	यू-1	800	अप्रैल-19	अक्टूबर-21	1495.2	1032	585	120.95	30.00
2	आंध्र प्रदेश	एपजैको	श्री दामोदरम संजीव्याह टीपीपी स्टे.-II	यू-1	800	जून-19	अगस्त-21	2886.7	1062	885.35	122.88	26.00
3	राजस्थान	आरआरवीयूएनएल	सूरतगढ़ एससीटीपीपी	यू-8	660	नवंबर-16	जुलाई-21	1053.2	1102.7	1056.18	319.81	56.00
4	तेलंगाना	टीएसजैको	भद्रादरी टीपीपी	यू-4	270	सितंबर-17	अगस्त-21	2512.2	1759.3	1066.95		47.00
5	तमिलनाडु	टीएसजैको	एन्नोर एक्सपे. एससीटीपीपी	यू-1	660			-	-	-		उपलब्ध नहीं
6	तमिलनाडु	टेनजेडको	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	नवंबर-17	मार्च-23	2081.2	710.6	407.38	0	64.00
		टेनजेडको		यू-2	660	जनवरी-18	अप्रैल-23					63.00
7	तमिलनाडु	टेनजेडको	नॉर्थ चेन्नई टीपीपी स्टे.-III	यू-1	800	अप्रैल-19	फरवरी-22	2243.5	2090.6	928.95	40	34.00
8	तमिलनाडु	टेनजेडको	अपर सुपर क्रिटिकल टीपीपी	यू-1	800	फरवरी-21	मई-24	1594.2	924.32	366.61	0	39.00
		टेनजेडको		यू-2	800	फरवरी-21	जुलाई-24					41.00
9	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	हरदुआगंज टीपीएस एक्सपे.-II	यू-1	660	जनवरी-20	सितंबर-21	1223.8	1339.2	775.91	29.82	20.00
10	कर्नाटक	केपीसीएल	येलहांका सीसीपीपी	GT+ST	370	जुलाई-18	नवंबर-21	140.93	171.41	219.28		40.00
11	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	जवाहरपुर एसटीपीपी	यू-1	660	दिसंबर-20	दिसंबर-22	991	2286	1211.45	151.79	24.00
		यूपीआरवीयूएनएल		यू-2	660	अप्रैल-21	जून-23					26.00
12	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	ओबरा-सी एसटीपीपी	यू-1	660	दिसंबर-20	जनवरी-23	901.83	1960	1560.21		25.00
		यूपीआरवीयूएनएल		यू-2	660	अप्रैल-21	मई-23					25.00
13	तेलंगाना	टीएसजैको	यादादरी टीपीएस	यू-1	800	फरवरी-23	फरवरी-23	2129.2	2935.6	4427.54	29.89	0.00
		टीएसजैको		यू-2	800	मार्च-23	मार्च-23					0.00
		टीएसजैको		यू-3	800	अप्रैल-23	अप्रैल-23					0.00
		टीएसजैको		यू-4	800	मई-23	मई-23					0.00
		टीएसजैको		यू-5	800	जून-23	जून-23					0.00
14	उत्तर प्रदेश	यूपीआरवीयूएनएल	पंकी टीपीएस एक्सपे.	यू-1	660	सितंबर-21	सितंबर-22	543.29	837.26	1131.47	1.75	12.00
15	तमिलनाडु	टेनजेडको	उडनगुडी एसटीपीपी स्टेज-I	यू-1	660	मार्च-21	मई-22	336.43	654.76	1778.57		14.00
		टेनजेडको		यू-2	660	मई-21	जुलाई-22					14.00
16	महाराष्ट्र	महाजैको	भुसावल टीपीएस	यू-6	660	मई-22	नवंबर-22	59.41	584.06	2025.32	97.76	6.00
17	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीपीडीसीएल	सागरदिघी थर्मल पावर प्लांट फेज-III	यू-1	660	जनवरी-24	जनवरी-24	70	56.25	362.47	76.08	0.00
निजी क्षेत्र												
1	आंध्र प्रदेश	ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.	भवानापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660			-	-	-		उपलब्ध नहीं
		ईस्ट कोस्ट एनर्जी लि.		यू-2	660							उपलब्ध नहीं
2	आंध्र प्रदेश	मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.	थामिनापट्टनम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350			334.5	-	-		उपलब्ध नहीं
		मीनाक्षी एनर्जी प्रा. लि.		यू-4	350							उपलब्ध नहीं
3	छत्तीसगढ़	केएसके महानदी पावर कंपनी लि.	अकलतारा टीपीपी	यू-4	600			-	-	-		उपलब्ध नहीं
		केएसके महानदी पावर कंपनी लि.		यू-5	600							उपलब्ध नहीं
		केएसके महानदी पावर कंपनी लि.		यू-6	600							उपलब्ध नहीं
4	बिहार	(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल	सिरिया टीपीपी	यू-1	660			-	-	-		उपलब्ध नहीं
		(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल		यू-2	660							उपलब्ध नहीं
		(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल		यू-3	660							उपलब्ध नहीं
		(जस इंफ्रा. टीपीपी)/ जेआईसीपीएल		यू-4	660							उपलब्ध नहीं
5	छत्तीसगढ़	एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.	बिंजकोट टीपीपी	यू-3	300			-	-	-		उपलब्ध नहीं
		एसकेएस पावर जेनरेशन (छत्तीसगढ़) लि.		यू-4	300							उपलब्ध नहीं

6	छत्तीसगढ़	एलएपी प्रा. लि.	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660						उपलब्ध नहीं	
		एलएपी प्रा. लि.		यू-4	660						उपलब्ध नहीं	
7	छत्तीसगढ़	एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.	सिंघीतराई टीपीपी	यू-1	600						उपलब्ध नहीं	
		एथेना छत्तीसगढ़ पावर लि.		यू-2	600						उपलब्ध नहीं	
8	छत्तीसगढ़	वंदना विद्युत्	सलोरा टीपीपी	यू-2	135						उपलब्ध नहीं	
9	छत्तीसगढ़	वीसा पावर लि.	देवेरी (वीसा) टीपीपी	यू-1	600						उपलब्ध नहीं	
10	झारखंड	कारपोरेट पावर लि.	मैत्रिणी ऊषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270						उपलब्ध नहीं	
		कारपोरेट पावर लि.		यू-2	270						उपलब्ध नहीं	
11	झारखंड	कारपोरेट पावर लि.	मैत्रिणी ऊषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270						उपलब्ध नहीं	
		कारपोरेट पावर लि.		यू-4	270						उपलब्ध नहीं	
12	झारखंड	एस्सार पावर लि.	टोरी टीपीपी फेज-I	यू-1	600						उपलब्ध नहीं	
		एस्सार पावर लि.		यू-2	600						उपलब्ध नहीं	
13	झारखंड	एस्सार पावर लि.	टोरी टीपीपी फेज-II	यू-3	600						उपलब्ध नहीं	
14	महाराष्ट्र	रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-2	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-3	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-4	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-5	270						उपलब्ध नहीं	
15	महाराष्ट्र	एलवीपी प्रा. लि.	लैंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660						उपलब्ध नहीं	
		एलवीपी प्रा. लि.		यू-2	660						उपलब्ध नहीं	
16	महाराष्ट्र	रतन इंडिया पावर प्रा. लि.	नासिक टीपीपी फेज-II/ रतन इंडिया नासिक पावर प्रा. लि. बीटीजी-भैल	यू-1	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-2	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-3	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-4	270						उपलब्ध नहीं	
		रतन इंडिया पावर प्रा. लि.		यू-5	270						उपलब्ध नहीं	
17	महाराष्ट्र	जिनभूविष पावर जेनरेशन प्रा. लि.	बिजोरा घनमुख टीपीपी	यू-1	300						उपलब्ध नहीं	
		जिनभूविष पावर जेनरेशन प्रा. लि.		यू-2	300						उपलब्ध नहीं	
18	महाराष्ट्र	शीरपुर पावर प्रा. लि.	शीरपुर टीपीपी, शीरपुर पावर प्रा. लि. - भैल	यू-2	150						उपलब्ध नहीं	
19	मध्य प्रदेश	डी.बी. पावर (एमपी) लि.	गोरजी टीपीपी	यू-1	660						उपलब्ध नहीं	
20	ओडिशा	इंड बराथ	इंड बराथ टीपीपी (ओडिशा)	यू-2	350						उपलब्ध नहीं	
21	ओडिशा	केवीके नीलांचल	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350						उपलब्ध नहीं	
		केवीके नीलांचल		यू-2	350						उपलब्ध नहीं	
		केवीके नीलांचल		यू-3	350						उपलब्ध नहीं	
22	ओडिशा	लैंको बाबंध	लैंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660						उपलब्ध नहीं	
		लैंको बाबंध		यू-2	660						उपलब्ध नहीं	
23	ओडिशा	एमपीसीएल	मलीब्राहमणी टीपीपी	यू-1	525						उपलब्ध नहीं	
		एमपीसीएल		यू-2	525						उपलब्ध नहीं	
24	तमिलनाडु	आईबीपीआईएल	तूतीकोरिन टीपीपी	यू-1	660						उपलब्ध नहीं	
25	तमिलनाडु	एसईपीसी	तूतीकोरिन टीपीपी स्टे.-IV	यू-1	525	अक्टूबर-18	जुलाई-21	508.91	812.56	561.55	183.83	33.00
26	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कारपोरेशन (हल्दिया)	हिरनमये एनर्जी लि.	यू-3	150							उपलब्ध नहीं

* दार्जीपल्ली यूनिट-2 को 21.07.2021 को राष्ट्रीय क्षमता वृद्धि में शामिल किया गया है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1778

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

विद्युत का निजीकरण

1778. श्री वी. वैथिलिंगम:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विद्युत वितरण के निजीकरण और उसके तहत विद्युत विभाग को सौंपने से संबंधित कार्य शुरू कर दिया गया है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है; और
- (ग) संघ राज्यक्षेत्र-वार पुदुचेरी के विद्युत विभाग को सौंपे गए कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत, संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) में विद्युत विभागों एवं यूटिलिटीयों के निजीकरण की घोषणा की। यह निर्णय विद्युत वितरण यूटिलिटीयों के उप-इष्टतम कार्यनिष्पादन तथा परिचालनात्मक और वित्तीय दक्षताओं में सुधार के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निर्देशित है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र की निविदाएं प्राप्त हुई हैं। दादर एवं नगर हवेली (डीएनएच) तथा दमन दीव (डीडी) संघ राज्य क्षेत्रों को भी निविदाएं प्राप्त हुई हैं और इन निविदाओं का मूल्यांकन किया गया है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र आरएफसी के अंतिम चरण में हैं। जम्मू एवं कश्मीर ने तौर-तरीकों की जांच के लिए एक अध्ययन की शुरुआत की है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1789

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

जलविद्युत ऊर्जा संयंत्र

1789. श्री चन्द्र प्रकाश चौधरी:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से संपूर्ण देश में जलविद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विगत तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान झारखंड राज्य में स्थापित जलविद्युत और ताप विद्युत संयंत्रों का जिले-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) झारखंड में शुरू की गई ऐसी परियोजनाओं की प्रगति का ब्यौरा क्या है और इनके पूरा होने की अनुमानित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) और (ख) : संबंधित राज्य सरकारों द्वारा केंद्र, राज्य और निजी क्षेत्र के विकासकर्ताओं को जल विद्युत परियोजनाएं (एचईपी) आवंटित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 8(1) के अनुसार, जल विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित करने के लिए इच्छुक कोई भी उत्पादन कंपनी, समय-समय पर अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा यथा निर्धारित, ऐसी स्कीम, जिसमें राशि (वर्तमान में 1000 करोड़ रुपये) से अधिक पूंजीगत व्यय होने का अनुमान हो, तैयार करेगी और सहमति के लिए प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में उपलब्ध सूचना के अनुसार, जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) के विकास की स्थिति इस प्रकार है:

- देश में 5,282 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 8 जल विद्युत परियोजनाएं सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के चरण में हैं। इसका ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।
- 2,021.1 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 4 जल विद्युत परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर सहमति दिए जाने पर सीईए में जांच की जा रही है। ब्यौरा **अनुबंध-II** में दिया गया है।
- सीईए द्वारा 22,967 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 30 जल विद्युत परियोजनाओं को सहमति दी गई है/मूल्यांकन किया गया है, जिनका अभी निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। ये परियोजनाएं विभिन्न कारणों से लंबित हैं। ब्यौरे **अनुबंध-III** पर दिए गए हैं।
- देश में 12,763.5 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली 37 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : झारखंड राज्य में पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान कोई बड़ी जल विद्युत परियोजना के साथ-साथ ताप विद्युत परियोजना संस्थापित नहीं की गई है और वर्तमान में उस राज्य में कोई बड़ी जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है।

झारखंड राज्य में 7,260 मेगावाट की कुल संस्थापित क्षमता वाली चार ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ब्यौरे **अनुबंध-V** पर दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सर्वेक्षण और जांच चरण के तहत जल विद्युत परियोजनाएं

(21.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	सरावथी पीएसपी	कर्नाटक	निजी	केपीसीएल	2000
2.	अपर इंद्रावती	ओडिशा	निजी	ओएचपीसीएल	600
3.	देवसारी*	उत्तराखण्ड	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	162
4.	कोडयार पीएसपी	तमिलनाडु	राज्य	टेनजेडको	500
5.	बालीमेली पीएसपी	ओडिशा	राज्य	ओएचपीसीएल	500
6.	बोकांग बेलिंग	उत्तराखण्ड	राज्य	टीएचडीसी	200
7.	सिल्लाहल्ला पीएसपी	तमिलनाडु	राज्य	टेनजेडको	1000
8.	अपर कोलाब	ओडिशा	राज्य	ओएचपीसीएल	320
				कुल	5282

*देवसारी एचईपी के संबंध में एसएंडआई अध्ययन वर्तमान में सीए के कारण रुका हुआ है। संख्या 6736/2013 भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत परियोजनाएं जिनके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण में जांच के अधीन हैं

(21.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)
1.	थाना प्लाउन	हिमाचल प्रदेश	राज्य	एचपीपीसीएल	191
2.	डूगर	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एनएचपीसी	500
3.	पिन्नापुरम स्टेड अलोन पम्पड स्टोरेज परियोजना	आंध्र प्रदेश	निजी	जीईपीएल	1200
4.	डगमारा	बिहार	केन्द्रीय	एनएचपीसी	130.1
		कुल			2021.1

अनुबंध-III

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

जल विद्युत परियोजनाएं केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा सहमति/मूल्यांकन की गई हैं और अभी निर्माण के लिए शुरू की जानी हैं

(21.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	क्षेत्र	विकासकर्ता	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	सहमति/मूल्यांकन की तिथि
1.	तीस्ता स्टेज-IV	सिक्किम	केन्द्रीय	एनएचपीसी	520	13.05.10
2.	तवांग स्टेज-I	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एनएचपीसी	600	10.10.11
3.	तवांग स्टेज-II	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एनएचपीसी	800	22.09.11
4.	सवालकोट	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीसी	1856	18.04.18
5.	तुर्गा पम्पड स्टोरेज परियोजना	पश्चिम बंगाल	राज्य	डब्ल्यूबीएसपीसीएल	1000	05.10.16
6.	मियार	हिमाचल प्रदेश	निजी	एमएचपीसीएल	120	07.02.13
7.	कलाई-II	अरुणाचल प्रदेश	निजी	कलाई पीपीएल	1200	27.03.15
8.	हयो	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एचएचपीपीएल	240	28.07.15
9.	टाटो-I	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएचपीपीएल	186	28.10.15
10.	टलॉग लॉदा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जीएमआर	225	16.08.13
11.	इटालिन	अरुणाचल प्रदेश	निजी	ईएचईपीसीएल	3097	12.07.13
12.	सुन्नी डैम	हिमाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	382	23.12.20
13.	वाह-उमैम स्टेज-III	मेघालय	केन्द्रीय	नीपको	85	10.06.21
14.	किरथई-II	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेपीडीसी	930	14.06.19
15.	लोअर सिआंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएवीएल	2700	16.02.10
16.	हिरॉंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	जेएपीएल	500	10.04.13
17.	नथिंग	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एनडीएसपीपीएल	1000	11.09.13
18.	किंशी स्टेज-I	मेघालय	निजी	एकेपीपीएल	270	31.03.15
19.	दीखू	नागालैंड	निजी	एनएमपीपीएल	186	31.03.14
20.	अट्टुनली	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एएचईपीसीएल	680	02.07.18
21.	कोटलीभेल स्टेज-Iक	उत्तराखण्ड	केन्द्रीय	एनएचपीसी	195	03.10.06
22.	कोटलीभेल स्टेज-Iख	उत्तराखण्ड	केन्द्रीय	एनएचपीसी	320	31.10.06
23.	अलकनंदा	उत्तराखण्ड	निजी	जीएमआरएल	300	08.08.08
24.	डेम्वे लोअर	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एडीपीएल	1750	20.11.09
25.	क्वार	जम्मू एवं कश्मीर	संयुक्त उद्यम	सीवीपीपीएल	540	23.02.17
26.	लोकटक डाउनस्ट्रीम	मणिपुर	संयुक्त उद्यम	एलडएचसीएल	66	05.05.17
27.	दिबांग	अरुणाचल प्रदेश	केन्द्रीय	एनएचपीसी	2880	18.09.17
28.	न्यू गंदरवाल	जम्मू एवं कश्मीर	राज्य	जेकेएसपीसी	93	10.06.14
29.	नेफ्रा	अरुणाचल प्रदेश	निजी	एसएनईएल	120	11.02.11
30.	छत्रू	हिमाचल प्रदेश	निजी	डीएससी	126	15.01.15
		कुल			22967	

अनुबंध-IV

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना (25 मेगावाट से अधिक)

(21.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	विकासकर्ता	राज्य	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	प्रत्याशित कमीशनिंग तिथि
1.	सुबनसिरी लोअर	केन्द्रीय	एनएचपीसी	अरुणाचल प्रदेश	2000	2023-24 (अगस्त'23)
2.	पारबती स्टेज-II	केन्द्रीय	एनएचपीसी	हिमाचल प्रदेश	800	2021-22 (मार्च'23)
3.	लुहरी-I	केन्द्रीय	एसजेवीएन	हिमाचल प्रदेश	210	2025-26 (जनवरी'26)
4.	उहल-III	निजी	बीवीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	100	2022-23 (दिसम्बर'22)
5.	धौलासिध	केन्द्रीय	एसजेवीएनएल	हिमाचल प्रदेश	66	2025-26 (मई'25)
6.	शौंगटोंग कर्चम	राज्य	एचपीपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	450	2024-25 (मार्च'25)
7.	बजोली होली	निजी	जीएमआर	हिमाचल प्रदेश	180	2021-22 (सितम्बर'21)
8.	सोरांग	निजी	एचएसपीसीएल	हिमाचल प्रदेश	100	2021-22 (जुलाई'21)
9.	टिडोंग-I	निजी	स्टेटक्राफ्ट आईपीएल	हिमाचल प्रदेश	100	2022-23 (जून'22)
10.	कुटेहर	निजी	जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड	हिमाचल प्रदेश	240	2025-26 (नवम्बर'25)
11.	पाकलडुल	केन्द्रीय	सीवीपीपीएल	जम्मू एवं कश्मीर	1000	2025-26 (जुलाई'25)
12.	परनई	राज्य	जेकेसपीडीसी	जम्मू एवं कश्मीर	37.5	2022-23 (मार्च'23)
13.	किरु	केन्द्रीय	सीवीपीपीएल	जम्मू एवं कश्मीर	624	2024-25 (अगस्त'24)
14.	पल्लीवासल	राज्य	केएसईबी	केरल	60	2021-22 (दिसम्बर'21)
15.	थोट्टियार	राज्य	केएसईबी	केरल	40	2021-22 (दिसम्बर'21)
16.	शाहपुरकंडी	राज्य	पीएसपीसीएल/ सिंचाई विभाग	पंजाब	206	2023-24 (दिसम्बर'23)
17.	तीस्ता स्टेज-VI	केन्द्रीय	एनएचपीसी	सिक्किम	500	2023-24 (मार्च'24)
18.	कुंडाह पीएसपी फेज-I,IIएवंIII)	राज्य	टेनजेडको	तमिलनाडु	500	2023-24 (अप्रैल'23)

19.	टिहरी पम्पड स्टोरेज परियोजना	केन्द्रीय	टीएचडीसी	उत्तराखण्ड	1000	2022-23 (दिसम्बर'22)
20.	विष्णुगढ़ पीपलकोटी	केन्द्रीय	टीएचडीसी	उत्तराखण्ड	444	2023-24 (दिसम्बर'23)
21.	नैयतवार मोरी	केन्द्रीय	एसजेवीएन	उत्तराखण्ड	60	2021-22 (जून'22)
22.	व्यासी	राज्य	यूजेवीएनएल	उत्तराखण्ड	120	2022-23 (अप्रैल'22)
23.	रम्माम-III	केन्द्रीय	एनटीपीसी	पश्चिम बंगाल	120	2022-23 (नवम्बर'22)
24.	लोअर कोपिली	राज्य	एपीजीसीएल	असम	120	2024-25 (जून'24)
25.	पोलावरम	राज्य	एपजेनको/ सिंचाई विभाग	आंध्र प्रदेश	960	2024-26
26.	टंगनु रोमाई	निजी	टीआरपीजी	हिमाचल प्रदेश	44	2024-25 *
27.	लोअर कलनाई	राज्य	जेकेएसपीडीसी	जम्मू एवं कश्मीर	48	2025-26 *
28.	रत्ले	केन्द्रीय	आरएचईपीपीएल/ एनएचपीसी	जम्मू एवं कश्मीर	850	2025-26
29.	महेश्वर	निजी	एसएमएचपीसीएल	मध्य प्रदेश	400	2023-24 *
30.	कोयने लेफ्ट बैंक	राज्य	डब्ल्यूआरडी, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र	80	2025-26 *
31.	रंगित-IV	केन्द्रीय	एनएचपीसी	सिक्किम	120	2025-26
32.	भस्मे	निजी	गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर	सिक्किम	51	2024-25 *
33.	रंगित-II	निजी	सिक्किम जल विद्युत	सिक्किम	66	2024-25 *
34.	पनान	निजी	हिमगिरि	सिक्किम	300	2025-26 *
35.	लता तपोवन	केन्द्रीय	एनटीपीसी	उत्तराखण्ड	171	2025-26 *
36.	तपोवन विष्णुगढ़	केन्द्रीय	एनटीपीसी	उत्तराखण्ड	520	2023-24
37.	फाटा बियुंग	निजी	लैंको	उत्तराखण्ड	76	2024-25 *
कुल					12763.5	

(*) जल विद्युत परियोजना का निर्माण विभिन्न कारणों से बीच में ही रुका हुआ है।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1789 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

झारखण्ड राज्य में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाएं

(21.07.2021 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	क्षेत्र	जिला	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का संभावित समय
1	नॉर्थ करनपुरा एसटीपीपी	केन्द्रीय	चत्रा	यू-1	660	दिसम्बर'21
				यू-2	660	जून'22
				यू-3	660	दिसम्बर'22
2	पतरातु एसटीपीपी	केन्द्रीय	रामगढ़	यू-1	800	सितम्बर'23
				यू-2	800	मार्च'24
				यू-3	800	सितम्बर'24
3	मैत्रिश्री ऊषा टीपीपी	निजी	लातेहर	यू-1	270	*
				यू-2	270	
				यू-3	270	*
				यू-4	270	
4	टोरी टीपीपी	निजी	अंगरहा	यू-1	600	#
				यू-2	600	
				यू-3	600	#
कुल					7260	

(*) काम रुका हुआ है। 19.02.2020 को एनसीएलटी में भर्ती।

(#) काम रुका हुआ है। परिसमापन आदेश दिनांक 18.12.2019

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1807

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

स्मार्ट मीटरों की स्थापना

1807. श्री हाजी फजलुर रहमान:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का देश भर में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या उत्तर प्रदेश राज्य में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटरों में कई खामियां हैं और हाल के दिनों में उन्हें लगाने का कार्य बंद कर दिया गया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या स्मार्ट मीटरों में पाई गई खराबी के कारण बिजली उपभोक्ताओं को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और
- (ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में और सुधार करने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

(श्री आर.के. सिंह)

(क) : भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों के साथ-साथ राज्य यूटिलिटियों द्वारा स्वयं स्मार्ट मीटर स्थापित किए जा रहे हैं। भारत सरकार राष्ट्रीय स्मार्ट ग्रिड मिशन (एनएसजीएम) और एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) के तहत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यान्वयन के लिए राज्यों का वित्तपोषण कर रही है। ईईएसएल उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली आदि राज्यों में अपनी स्वतंत्र पहल पर डिस्कॉमों द्वारा शुरू की जा रही स्मार्ट मीटरिंग परियोजनाओं को ओपेक्स के आधार पर भी कार्यान्वित कर रही है, जिसमें ईईएसएल प्रारंभिक पूंजीगत व्यय कर रहा है और डिस्कॉम मासिक किराया आधार पर ईईएसएल को

पुनर्भुगतान कर रहे हैं। अभी तक, भारत सरकार की पूर्वोक्त स्कीमों और डिस्कॉमों की पूर्वोक्त परियोजनाओं के तहत विभिन्न राज्यों में लगभग 25.71 लाख स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं।

इसके अलावा, भारत सरकार द्वारा 30.06.2021 को अनुमोदित संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम के तहत, दिसंबर, 2023 तक लगभग 10 करोड़ प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि परियोजना के आरंभिक चरण में कोई प्लग एंड प्ले समाधान उपलब्ध नहीं थे क्योंकि उत्तर प्रदेश में 40 लाख स्मार्ट मीटर संस्थापित करने की परियोजना देश में अपनी तरह की सबसे पहली तथा सबसे बड़ी परियोजना थी और स्मार्ट मीटरिंग प्रणाली के आईटी घटकों में शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ा था। परिणामस्वरूप स्मार्ट मीटर की संस्थापना को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था जबकि तकनीकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है।

(घ) और (ङ) : उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सूचित किया है कि खराब मीटरों के सूचित मामलों में विद्युत उपभोक्ताओं को कोई वित्तीय नुकसान नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा स्थिति में सुधार के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

- (i) “मानकीकरण परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन” (एसटीक्यूसी) निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आईटी अवसंरचना की सुरक्षा लेखापरीक्षा।
- (ii) एएमआई प्रणाली की यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग प्रयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण (यूएटी) 29 दिसंबर, 2020 से आयोजित की जा रही है। कुल मिलाकर, 746 परीक्षण मामलों का परीक्षण करने की योजना बनाई गई थी और सभी मामलों का परीक्षण किया जा चुका है। अगस्त, 2021 तक यूएटी पूरी होने की उम्मीद है।
- (iii) केन्द्रीय विद्युत अनुसंधान संस्थान (सीपीआरआई) द्वारा यादृच्छिक रूप से चयनित स्मार्ट मीटरों का परीक्षण। आरम्भ में आठ समूहों में से, प्रत्येक से एक मीटर का परीक्षण किया गया। इस परीक्षण में तीन मीटर पास हुए। पांच समूहों में से, जिसमें नमूना मीटर मानदंडों के अनुरूप नहीं पाए गए थे, प्रत्येक समूह से आठ मीटरों (कुल 40) का परीक्षण किया गया। सभी 40 मीटर मानदंडों के अनुरूप पाए गए। इसके बाद, 57 और मीटरों का परीक्षण किया गया है तथा ये सभी 57 मीटर मानदंडों के अनुरूप पाए गए हैं।

इस स्थिति की न केवल डिस्कॉम स्तर पर अपितु मंत्रालय स्तर पर मासिक समीक्षा में भी निगरानी की जा रही है।

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1817

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

स्पॉट विद्युत मूल्य में वृद्धि

1817. डॉ. थोल तिरुमावलवन:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार मार्च 2020 से मार्च 2021 के मध्य औसत स्पॉट बिजली मूल्य में तेज वृद्धि से अवगत है;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ग) क्या इस तरह की तीव्र वृद्धि आवक लागत के कारण है अथवा उत्पादकों/व्यापारियों द्वारा लाभ बढ़ाने के लिए की गई हेराफेरी के कारण है; और
- (घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा कीमतों में इतनी तेज वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (घ) : यह सही नहीं है कि मार्च, 2020 से मार्च, 2021 तक औसत तत्काल विद्युत मूल्य में तेज वृद्धि हुई है। वास्तव में, विद्युत एक्सचेंजों के माध्यम से विक्रय की गई विद्युत का औसत मूल्य वर्ष 2019-20 में 3 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच से घटकर वर्ष 2020-21 में 2.82 रुपये प्रति केडब्ल्यूएच रह गया है। यह मार्च, 2020 से मार्च, 2021 की अवधि के लिए औसत मूल्य और पावर एक्सचेंजों के माध्यम से संव्यवहार की गई विद्युत की मात्रा का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

पावर एक्सचेंजों की स्थापना सीईआरसी विद्युत बाजार विनियमों के तहत की गई है जो यह प्रावधान करते हैं कि पावर एक्सचेंज वह बाजार है जहां क्रेता, विक्रेता, विद्युत व्यापारी आदि मानकीकृत संविदाओं पर संव्यवहार करते हैं।

तत्काल बाजार में विद्युत मूल्य, बाजार में मांग एवं पूर्ति बलों का कृत्य होता है जो बदले में देश की समस्त आर्थिक स्थिति पर निर्भर रहते हैं। पावर एक्सचेंजों में डे-अहेड मार्किट में विद्युत मूल्य बाजार तंत्र अर्थात् सकल मांग (कुल क्रय बोली) और सकल आपूर्ति (कुल विक्रय बोली) के माध्यम से प्रकटीकरण होता है और बोली तंत्र डे-अहेड मार्किट में दो तरफा बंद बोली नीलामी का अनुपालन करता है।

राजस्व वर्ष 2020-21 में, नई बाजार गतिविधियां जैसे कि रीयल टाइम की निकट विद्युत की मांग का प्रबंधन करने के लिए रीयल टाइम मार्किट (आरटीएम), नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्किट (जी-टीएम) की शुरुआत की गई और भारतीय विद्युत बाजार की बढ़ती पहुंच एवं बाजार भागीदारों के बीच सूचना के आदान-प्रदान की बढ़ती जरूरत को पूरा करने के साथ-साथ बाजार निगरानी एवं मॉनीटरिंग हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए सीईआरसी विद्युत बाजार विनियम, 2021 की अधिसूचना जारी की गई।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 1817 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

मार्च, 2020 - मार्च, 2021 के दौरान औसत मूल्य और मात्रा नीचे दी गई है:-

माह	औसत मूल्य (रूपये/यूनिट)	बेची गई मात्रा (बीयू)
मार्च, 2020	2.45	3.97
अप्रैल, 2020	2.42	3.69
मई, 2020	2.57	5.57
जून, 2020	2.35	4.17
जुलाई, 2020	2.47	4.49
अगस्त, 2020	2.43	4.48
सितम्बर, 2020	2.69	4.78
अक्तूबर, 2020	2.74	5.50
नवम्बर, 2020	2.73	4.86
दिसम्बर, 2020	2.83	5.61
जनवरी, 2021	3.18	5.57
फरवरी, 2021	3.39	5.10
मार्च, 2021	4.07	6.55

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-1835

जिसका उत्तर 29 जुलाई, 2021 को दिया जाना है।

सौभाग्य के अंतर्गत विद्युतीकरण

1835. श्री सुदर्शन भगत:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के अंतर्गत देश में अधिकांश घरों का विद्युतीकरण हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री
(श्री आर.के. सिंह)

(क) से (ग) : भारत सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में सभी गैर-विद्युतीकृत घरों और शहरी क्षेत्रों के सभी गरीब घरों को विद्युत कनेक्शन प्रदान करके घरों का सार्वभौमिक विद्युतीकरण प्राप्त करने के उद्देश्य से अक्टूबर, 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना-सौभाग्य की शुरुआत की थी।

सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत, दिनांक 31.03.2021 की स्थिति के अनुसार, सभी राज्यों ने दिनांक 31.03.2019 से पहले अभिचन्हित, सभी इच्छुक गैर-विद्युतीकृत घरों के 100% विद्युतीकरण की सूचना प्रदान की है। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, सौभाग्य की शुरुआत से, दिनांक 31.03.2021 तक, कुल 2.817 करोड़ घरों को विद्युतीकृत कर दिया गया है। राज्य-वार ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं।

लोक सभा में दिनांक 29.07.2021 को उत्तरार्थ अतारंकित प्रश्न संख्या 1835 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

सौभाग्य स्कीम की शुरुआत से घरों का राज्य-वार विद्युतीकरण

क्र. सं.	राज्यों के नाम	दिनांक 11.10.2017 से 31.03.2019 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	दिनांक 01.04.2019 से 31.03.2021 तक विद्युतीकृत घरों की संख्या	31.03.2021 की स्थिति के अनुसार कुल विद्युतीकृत घर
1.	आंध्र प्रदेश	1,81,930		1,81,930
2.	अरुणाचल प्रदेश	47,089		47,089
3.	असम	17,45,149	2,00,000	19,45,149
4.	बिहार	32,59,041		32,59,041
5.	छत्तीसगढ़	7,49,397	40,394	7,89,791
6.	गुजरात	41,317		41,317
7.	हरियाणा	54,681		54,681
8.	हिमाचल प्रदेश	12,891		12,891
9.	जम्मू एवं कश्मीर	3,77,045		3,77,045
10.	झारखंड	15,30,708	2,00,000	17,30,708
11.	कर्नाटक	3,56,974	26,824	3,83,798
12.	लद्दाख	10,456		10,456
13.	मध्य प्रदेश	19,84,264		19,84,264
14.	महाराष्ट्र	15,17,922		15,17,922
15.	मणिपुर	1,02,748	5,367	1,08,115
16.	मेघालय	1,99,839		1,99,839
17.	मिजोरम	27,970		27,970
18.	नागालैंड	1,32,507		1,32,507
19.	ओडिशा	24,52,444		24,52,444
20.	पुडुचेरी	912		912
21.	पंजाब	3,477		3,477
22.	राजस्थान	18,62,736	2,12,786	20,75,522
23.	सिक्किम	14,900		14,900
24.	तमिलनाडु	2,170		2,170
25.	तेलंगाना	5,15,084		5,15,084
26.	त्रिपुरा	1,39,090		1,39,090
27.	उत्तर प्रदेश	79,80,568	12,00,003	91,80,571
28.	उत्तराखण्ड	2,48,751		2,48,751
29.	पश्चिम बंगाल	7,32,290		7,32,290
	कुल	2,62,84,350	18,85,374	2,81,69,724
